


<p>भारत सरकार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड़ रोड, कोटा - 324005, राजस्थान</p>	 सत्यमेव जयते	<p>Government of India Central Bureau of Narcotics O/o The Dy. Narcotics Commissioner Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road, Kota-324005, Rajasthan</p>
<p>STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; ANC: 2438927 E-mail: dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in</p>		

F.No.I(22)-3/Adm/2018-

Dated:- 01.03.2023


निविदा

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे छबड़ा, झालावाड़, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम, रामगंजमंडी, छोटीसादडी एवं प्रतापगढ़ इत्यादि से अफीम कंटेनरों एवं सी.पी.एस. पद्धति के तहत डोडो को अफीम गोदाम, चित्तौड़गढ़ तथा नीमच फैक्ट्री (म0प्र0) तक सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु किराये पर बंद बाड़ी ट्रक उपलब्ध कराने की निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्तें

- विभाग को 13 से 19 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी, जो कि आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है। ट्रक कंटेनर 32" फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सील किया जा सके। ट्रक की टूट-फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वयं पार्टी की होगी। सभी ट्रकों पर जी0पी0एस0 (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) इन्स्ट्रूमेंट लगा होना अनिवार्य है।
- निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु बंद ट्रकों की निविदा" अंकित होना चाहिए निविदा में लागू जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग-2 कर दर्शाया जाये। ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त वांछित संख्या में ट्रक उपलब्ध हो।
- निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में दिनांक 11.03.2024 को 14.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे दिनांक 11.03.2024 को ही 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
- निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 25000/- का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की जाएगी।
- सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरम्भ होगा, जो माह अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है। अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल केन्द्रों एवं कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
- टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
- नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ - 1/11/111, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ 1/11 के अफीम तौल केन्द्र, छबड़ा, झालावाड़, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम,, प्रतापगढ़ एवं छोटी सादडी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य समाप्ति पर ट्रक अफीम गोदाम चित्तौड़गढ़ अथवा अफीम फैक्ट्री नीमच से ही रीलीज कर दिये जायेंगे।
- इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
- यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है एवं निविदादाता द्वारा तुरन्त समाधान नहीं करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
- वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है।
- ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर नशे का आदी नहीं होना चाहिए।
- फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशी भी जप्त की जा सकती है।


13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
16. जी.एस.टी. अधिकृत रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा कोटेशन में दर जी.एस.टी. सहित दर्शायें।



(जे.एस. राजपुरोहित)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- ✓ 1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़-1/11/111, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ 1/11 को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।



सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान